


तारीख हुकम	<p>हुकम मय कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>प्रकरण संख्या :- 16/2017</u> <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136</u></p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
22/3/22	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनूं/मण्डावा का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार झुन्झुनूं/मण्डावा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम रसौड़ा की भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 0.18 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन कुआं के बारे में मजमे आम में पूछने पर विवादित भूमि कुएं की गूण आदि के काम में ली जाती थी एवं वर्तमान में सार्वजनिक चौक के रूप में काम में आ रही है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 211 की भूमि को गैर मुमकिन आबादी दर्ज करने हेतु निवेदन किया है जबकि राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि गैर मुमकिन कुआं दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार किसी भी प्रकार का दस्तावेज पत्रावली के संलग्न नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट में पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक जज झुन्झुनूं (राज.)</p>	